न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 11/2023

GCMS No. : 2023/17

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
आन्नद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. दुर्गाराम भाटी पुत्र धणाराम भाटी मैसर्स आशापुरा किराणा स्टोर्स जीएम कॉम्पलेक्स पावणा पैलेस के पास सुमेरपुर रोड पाली। 2. मैसर्स शोभा ट्रेडर्स जनता कॉलोनी पाली।

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51"

उपस्थित :–

1. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दुष्यन्त व्यास।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी.पंवार।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांकः 28/11/2025

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है एवं राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के अधिकृत किया गया एवं श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वाास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएस/2020/1041 दिनांक 31.12. 2020 के अनुसार प्रार्थी का कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली आवंटित किया गया हैं एवं पाली जिलें में आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र प्रार्थी के

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कार्यक्षेत्र में आते है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की हैसियत से दिनांक 13.09.2022 दौराने गश्त अप्रार्थी के मैसर्स आशापुरा किराणा स्टोर्स जीएम कॉम्पलेक्स पावणा पैलेस के पास सुमेरपुर रोड पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। प्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम दुर्गाराम भाटी बताया एवं स्वंय को फर्म का मालिक होना बताया। वक्त निरीक्षण अप्रार्थी की दुकान में बेसन रखा हुआ था जिसे आमजन को बेचने हेतु रखा गया था। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने बेसन का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की, जिसके लिए मैने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी एवं गवाहान को यह बता दिया कि यह नमुना वास्ते जाचं एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हुं। स्वतंत्र गवाह नहीं होने कि स्थिति में प्रार्थी के साथ आये ओमप्रकाश कम्प्युटर ऑपरेटर कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 2 किलोग्राम बेसन वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 60/—रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा बेसन कों नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर—1554 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म—6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की दुकान से लिया गया बेसन का नमुना संख्या आर—1554 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1749/एक्ट/2022/1742 दिनांक 21.10.2022 के अनुसार Sub-standard (अवमानक) पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये डाक भिजवाकर सूचित किया कि वह उक्त नमुने की जांच पुनः करवाना चाहते है या अपना कोई पक्ष रखना चाहते है तो 30 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते है। उक्त अवधि पूर्ण होने से प्रकरण श्रीमान के समक्ष पेश किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-standard (अवमानक) बेसन को आमजन को विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन

अति. जिला कलेक्टर, पाली

किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त बहस प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से दिनांक 13.09.2022 को कोई नमुना बेसन का सेम्पल नहीं लिया गया एवं न ही दिनांक 13.09. 2022 को लिए गये सेम्पल से सम्बन्धित दस्तावेज पेश किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति एवं उसका कार्यक्षेत्र का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समुचित अधिसूचना द्वारा तय किया जाता है जबकि परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज दिनांक 31.12.2020 राजपत्रित अधिसूचना से यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सम्पूर्ण पाली क्षेत्र कार्य निष्पादन हेतु नियुक्त किया गया हैं। ऐसे में परिवाद विधि अनुसार नहीं होने से खारिज योग्य है। प्रार्थी दिनांक 13.10.2022 को अप्रार्थी फर्म पर आये और अपने को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बताते हुए फर्म का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी ने प्रार्थी को बता दिया कि फर्म में किसी प्रकार की खाद्य सामग्री का उत्पादन नहीं किया जाता, जिस अवस्था में होलसेल विक्रेता से खरीदा जाता है उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जाता है। मौके पर अप्रार्थी ने बेसन से संबंधित खरीद बिल पेश किये। मौके पर प्रार्थी से 20 किलो बेसन के बड़े पैकेट में से 500—500 ग्राम के छोटे पैकेट से सेम्पल लिया गया जिसके संबंध में प्रार्थी को अवगत करवा दिया कि उक्त बेसन शोभा ट्रेडर्स जनता कॉलोनी पाली से खरीद किया गया जिसका बिल प्रार्थी को पेश किया। प्रार्थी ने पैक्ड बेसन का सेम्पल लिया, न की खुला बेसन का, साथ ही प्रार्थी ने स्वतन्त्र गवाह न लेकर अपने साथ आये कर्मचारी को ही गवाह बनाया जो कि कार्यवाही की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण के संबंध में समस्त कार्यवाही मौके पर नहीं कर केवल खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये गये साथ ही अप्रार्थी का अपना पक्ष रखन हेतु पर्याप्त अवसर भी नहीं दिये गये। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मौके पर थोक विक्रेता अप्रार्थी संख्या 02 के संबंध में पर्याप्त दस्तावेज पेश करने के उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा उन्हें प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। प्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा के प्रावधानों ने अनुरूप कार्यवाही नहीं कर विधिविरूद्ध तरीके हस्तगत प्रकरण पेश किया है, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 ने वक्त बहस एवं लिखित जवाब में कथन किया कि जैर प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को गलत रूप से पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से दिनांक 13.09.2022 को बेसन का सेम्पल लिया गया जबकि अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 को बेसन का बेचाण दिनांक 13.10.2022 को किया, जिसकी किमत 74 रूपये प्रतिकिलो के हिसाब से था। ऐसे में यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया बेसन

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

का सेम्पल अप्रार्थी संख्या 02 की फर्म से खरीद नहीं किया गया है साथ ही अप्रार्थी सख्या 02 द्वारा अपनी फर्म में किसी प्रकार का बेसन का उत्पादन नहीं करता वह एक थोक व्यापारी है जिस अवस्था में बेसन खरीदा जाता है उसी अवस्था में खुदरा व्यापारीयों को बेचा जाता है ऐसें में बेसन की गुणवत्ता के लिए अप्रार्थी संख्या 02 जिम्मेदार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 को प्रकरण में विधिविरूद्ध तरीकों से पक्षकार बनाया है इसलिये अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप फरमावे।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस प्रथम उज्र यह था कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पाली जिले हेतु अधिकृत नहीं किया गया और न ही इस सम्बन्ध में कोई गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 37(1) के अनुसार "खाद्य सुरक्षा आयुक्त अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में केन्दीय सरकार द्वारा विहित अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेगा जिन्हें वह ठीक समझे और विनियमों के अधीन उसके कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए उन्हे समनुदेशित करे।" साथ ही धारा 37(2) के अनुसार राज्य सरकार विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार के ऐसे किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगी। जिसके पास धारा 37(1) के अधीन विहित अर्हताए हों।" साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से भी यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को पाली जिले के लिये अधिकृत किया गया था तथा प्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुये विधिनुसार प्रश्नगत कार्रवाई की है।

अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस अन्य मुख्य उज्र यह था कि प्रार्थी ने प्रार्थाना पत्र में 13.09.2022 को सेम्पल लेना बताया है कि लेकिन उस दिनांक को कोई नमुना सेम्पल नहीं लिया गया। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र 5ए, नमूना खरीद बिल/कैश मेमो, मौका फर्द आदि में दिनांक 13.10.2022 अंकित है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म पर दिनांक 13.10.2022 को कार्यवाही की गई। जिससे यह सुस्पष्ट है कि सम्पूर्ण कार्यवाही दिनांक 13.10.2022 को की गई थी अर्थात् अप्रार्थी की फर्म से बेसन का सेम्पल दिनांक 13.10.2022 को लिया गया था। प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी द्वारा कार्यवाही की दिनांक 13.10.2022 के स्थान पर दिनांक 13.09.2022 अंकित हो गयी हो तो केवल इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी द्वारा उक्त कार्यवाही दिनांक 13.10.2022 को नहीं की गई जब तक कि इस सम्बन्ध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो। प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों से यह प्रमाणित है कि सम्पूर्ण कार्यवाही दिनांक 13.10.2022 को ही

अति. जिला कलेक्टर पाली

की गई थी इसलिये अधिवक्ता अप्रार्थी का उज्र प्रमाणित नहीं होने की दशा में स्वीकार योग्य नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थी का अन्य उज्र यह था कि प्रार्थी ने अप्रार्थी की फर्म से पैकिंग कट्टे में से बेसन का सेम्पल लिया है और प्रार्थना-पत्र में अंकित किया कि अप्रार्थी बेसन बेच रहा था लेकिन प्रार्थी के समक्ष किसी व्यक्ति को विक्रय किया जा रहा था ऐसी किसी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं है तथा सेम्पल लेने से पूर्व किसी भी दो गवाहों के नाम नहीं लिखे एवं न ही स्वतंत्र गवाहों के नाम लिखे गये, प्रार्थी ने निरीक्षण प्रक्रिया की अवहेलना करते हुये प्रश्नगत सेम्पल लिया है जो विधिविरूद्ध है। हस्तगत प्रकरण में प्रपत्र 5ए से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी की फर्म से 8-10 किलों बेसन के कट्टे में से 2 किलो बेसन का नमूना लिया और स्वतंत्र गवाहान की तलाश की परन्तु मौके पर कोई भी स्वतंत्र गवाह ने हस्ताक्षर करने से मना करने पर सरकारी गवाह के हस्ताक्षर करवाये। साथ ही अप्रार्थी ने अपनी फर्म में उक्त बेसन को रखा तो यह स्पष्ट है कि इसका उपयोग बेचने के लिये ही किया जा रहा था और अप्रार्थी ने भी यह स्वीकार किया कि बेसन का उपयोग आमजन को बेचन के लिये ही किया जा रहा था। हस्तगत प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 41(7) के अनुसार खाद्य निरीक्षक के सहकर्मी की गवाही की वैधता यदि उस स्थल पर पाये गये गवाह मदद करने से इन्कार कर देते है तो खाद्य निरीक्षक अपने सहकर्मी को बुला सकता है और उसका ऐसा कोई कदम ट्रायल को दुषित नहीं करेगा (सुशील कुमार बनाम स्टेट ऑफ यु.पी. 1998 क्रि. ला.ज. 2325 इला.)। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अप्रार्थी का यह उज्र कि केवल एक गवाह के ही हस्ताक्षर है मौके पर दुसरे गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 41(6) के अनुसार स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य के अनुसार "खाद्य निरीक्षक का एकल साक्ष्य भी यदि वह किसी को समझाने में सक्षम हो और यदि वह किसी को मनवा सकता है तो दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त हो सकता है (स्टेट बनाम नारायणस्वामी 1997 क्रि.लॉज 4490 (मद्रास)। जहां तक प्रकरण में सरकारी गवाहों का प्रश्न है तो अधिनियम की धारा 54 में यह स्पष्ट अंकित है कि "सरकारी गवाह अन्य से श्रेष्ठ होते हैं, जो याची के साथ कोई द्वेष नहीं रखते हैं। इनके साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए। (सतीश कुमार बनाम हरियाणा राज्य, 2017(1) एफ.ए.सी. 365(पं. एवं हरि.)। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अधिनियम में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में प्रश्नगत कार्रवाई की है, जो विधिसम्मत है।

अधिवक्ता प्रार्थी का अन्य उज्र यह था कि निरीक्षण के पश्चात् 24 घण्टे में सेम्पल लेब में जाना चाहिये जिसकी रिपोर्ट 14 दिवस में प्राप्त होनी चाहिये जो कि प्रकरण में प्राप्त नहीं हुई और न ही मुझे पुनः जांच के कोई अवसर दिये गये। जहां

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

तक प्रकरण में अन्य तथ्यों का प्रश्न है तो प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रपत्र 5ए में नमुने के सम्बन्ध में समस्त जानकारी यथा कोड़ नम्बर नमूने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये दिनांक 13.10.2022 को बेसन का नमुना कोड संख्या आर–1554 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर को कार्यालय हाजा के कर्मचारी चन्द्रेश कुमार के साथ दिनांक 14.10.2022 को भिजवा कर रसीद प्राप्त की, जिसकी प्रति पत्रावली के सलंग्न है। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया और प्रयोगशाल से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 21.10.2022 के अनुसार बेसन का नमुना Sub-standard (अवमानक) पाया गया। जिसकी प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 14.11.2022 को अप्रार्थी को भिजवायी गयी जिसे एक माह से ज्यादा समय व्यतित हो जाने पर भी अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से लिया गया बेसन की पुनः जाचं करवाने हेतु कोई आवेदन/अपील पेश नहीं कि जिस पर प्रार्थी ने नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया। उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि दिनांक 13.10.2022 को सेम्पल लेने के पश्चात् दिनांक 21.10.2022 को लिये गये नमूने की रिपोर्ट प्रयोगशाला से प्राप्त हो गई थी और अप्रार्थी को उक्त नमुने की पुनः जांच करवाने का भी पर्याप्त अवसर दिया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में सेम्पल दिनांक 13.09.2022 को लिया गया और उस समय वह परिवाद में पक्षकार नहीं है। प्रकरण में प्रस्तुत बिल दिनांक 13.10.2022 के है और बेसन की पैंकिग 500–500 ग्राम की है जिसके सेम्पल अप्रार्थी संख्या 2 की फर्म से नहीं लिया गया है इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 2 उक्त बेसन का निर्माता न होकर थोक विक्रेता है, जिसने उक्त बेसन पैक्ड अवस्था में अशोका फुड इण्डस्ट्रीज गांव मियारी बामन टुकड़ा एनएच 08 केलवा जिला राजसमन्द से खरीद किया था, इसलिये अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप फरमावे। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 29.05. 2024 के द्वारा प्रकरण में शोभा ट्रेर्डस को बतौर अप्रार्थी संख्या 2 पक्षकार संयोजित किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 की फर्म के अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से जारी बिल संख्या 1726 दिनांक 13.10.2022 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 ने बेसन के 500–500 ग्राम पैक के (20 किलो बैग) खरीद किये थे और प्रकरण में प्रार्थी द्वारा कट्टे में से जिसमें 8–10 किलों बेसन था, में से 2 किलों बेसन का सेम्पल लिया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से बेसन का सेम्पल लेते समय नियमानुसार खाद्य सुरक्षा नियमों के मानकों को अपनाते हुऐ सेम्पल लिया गया एवं खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया जिसमें किसी प्रकार की अवहेलना नहीं पायी गयी। जिससे

अति. जिला कलेक्टर, पाली

स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण ने अवमानक स्तर के बेसन का विक्रय/वितरण/विनिमय किया है, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों का उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-Standard) बेसन का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 10,000/- रूपये अक्षरे दस हजार रूपये मात्र तथा अप्रार्थी संख्या 2 पर 10,000/- रूपये अक्षरे दस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करे। निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थी उक्त आदेश की पालना अप्रार्थी से 1 माह में करवाकर पालना रिपोर्ट एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 28/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अति. जिला कलेक्टर पाली